न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा जिला–उदयपुर (राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :श्री माधव भारद्वाज (IAS)
प्रकरण संख्या:– 23/2014 दायर दिनांक :– 04.07.2014

1.श्री जयनारायण पिता कडुवा ,जाति –मीणा, निवासी– बडला, तहसील–खेरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)
2.श्री हाजांराम पिता कडुवा,जाति– मीणा , निवासी– बडला, तहसील–खैरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)
3.श्री शंकरलाल पिता कडुवा , जाति –मीणा, निवासी– बडला, , तहसील–खैरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)
4.श्री दुर्जन उर्फ दौलतराम पिता कडुवा, जाति –मीणा, निवासी– बडला, , तहसील–खैरवाडा, जिला–उदयपुर(राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी श्री नवीनचन्द्र मीणा, निवासी–रोबिया,तहसील–खेरवाडा जिला–उदयपुर(राज.)
2. श्री जयकृष्ण परमार पिता दयाराम परमार ,निवासी– सरेरा ,हॉल पुराना बस स्टेण्ड रोड खैरवाडा,तहसील खैरवाडा, जिला– उदयपुर(राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार,तहसील खैरवाडा, जिला– उदयपुर(राज.)।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा छाणी, तहसील खैरवाडा ,जरिये ब्रांच मैनेजर।

–प्रतिवादीगण–

<u>वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा 188,</u>

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा.दी. एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित : 1. श्री विवेक कसांरा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री कृष्णकान्त मेहता, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
3. श्री विनित कोठारी अधिवक्ता प्रतिवादी।
4. श्री आशिष दोवडिया अधिवक्ता प्रतिवादी।
5. श्री संदेश कोठारी अधिवक्ता प्रतिवादी।
6. तहसीलदार खेरवाडा, ,प्रतिवादी पेरोकार।

–:: <u>आदेश</u> ::– दिनांक:– 13/12/2024

प्रार्थी प्रतिवादी न.2 व 1 की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का टिनेन्सी एक्ट के किसी भी प्रावधान में लाई नही होता है। यह दावा बार्ड बाई लॉ है । आज्ञापक निषेधाज्ञा का वाद केवल दीवानी न्यायालय में ही लाया जा सकता है । इस कारण यह वाद इसी आधार पर काबिल निरस्त के योग्य है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. टि. एक्ट के तहत केवल खातेदार काश्तकार ही ला सक्ता है वादीगण को कोई अधिकार नही है। यह वाद बार्ड बाई लॉ है व इसी आधार पर वादीगण का वाद काबिल निरस्त योग्य है। वादीगण ने अपने दावे में स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा के अलावा अन्य दादरसी वाद में नही चाही गई है। व अन्य किसी सहायता के लिए वाद पेश नही किया गया है वाद कारण भी गलत बताया गया है । ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्टेज पर खारिज कराने का निवेदन किया है। वादीगण द्वारा प्रार्थी (प्रतिवादीगण) के प्रार्थना– पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया है कि वादीगण

13/12/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with CamScanner

द्वारा अपना वाद पेश किया गया है वह सही है, तथा प्रावधानो के तहत है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादीगणों का निरन्तर व निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगणों ने फर्जी एवं विधी विरूद्ध तरिके से अपने नाम आवंटित करा दी है। जो कि अनुचित था जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक राजस्व लेखा आन्तरिक लेखा जांच दल (आय) मु. उदयपुर ने दिनांक 24.09.2009 को ओडिट कर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पक्ष में जारी किये गये आवंटन को अनुचित मानते हुये उक्त आवंटन पूर्णतया नियम विरूद्ध फ्रोड तरिके से कराया गया पाया तथा उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु तहसीलदार खेरवाडा को आदेशित किया गया था। परन्तु बावजूद आदेश के किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विपक्षी (प्रतिवादी) नम्बर 1 व 2 के प्रभाव के कारण नहीं हो सकी। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया तब जानकारी होने पर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही व उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुये प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। वादीगण द्वारा स्थायी व आज्ञापक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तूत किया गया है जो कानूनन मेन्टेनेबल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पोषणीय है। वाद वर्णित भूमि कृषि भूमि है ऐसी स्थिति भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। विपक्षीगण (प्रार्थी) मामले को लम्बीत रखने की गरज से यह प्रार्थना–पत्र लाये है जो काबिल निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस अपने प्रार्थना–पत्र के अनुसार रही तथा वादीगण (प्रार्थी) के विद्वान अधिवक्ता के बहस अपने प्रार्थना–पत्र के जवाब अनुसार रही। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल खातेदार ही ला सकता है। तथा उक्त मामले में खातेदार प्रतिवादीगण है। प्रतिवादीगण अर्थात खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा नही जारी की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 209 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। वादीगण पुनः घोषणा का नयावाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

12/12/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमे हब्तदाई

(प्रांरम्भिक डिकी)

(आ 2 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज.) व इजलास – श्री माधव भारद्वाज (IAS)

श्री जयनारायण पिता कडुवा वगैरह निवासी–बडला, तहसील– खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.) क. स. 1
1 से 4 तक

बनाम

श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी श्री नवीनचन्द्र मीणा निवासी– रोबिया ,तहसील– खेरवाडा, जिला– उदयपुर (राज.)
क.स.1 से 4 तक

दावा– वाद बाबत् स्थाई एंव आज्ञापक निषेधाज्ञा,अन्तर्गत धारा 188 ।

मुकदमा नम्बर –23 / 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना–प. अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.एंव धारा 209 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वाद बाबत् स्थाई एंव आज्ञापक निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। वादीगण पुनः घोषणा का नया वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर– मुबलिग – — बाबत् — फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक – का अदा — करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 13 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत –

ओहदा – सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा (राज.) जिला–उदयपुर

मुदई रुपया पैसा		मुदायता रुपया पैसा	
स्टाम्प अरजी दावा	= 4:00 / –	स्टाम्प अरजी वकालत नामा	= 1:00 / –
स्टाम्प वकालतनामा	= 1:00 / –	स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
महनताना वकील (फा.)		महनताना वकील (फा.)	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
मुतफरिक		मुतफरिक	
मीलान :–	5:00 / –	मीजान :–	= 1:00 / –

Scanned with CamScanner